संख्या-134/2016/आर-1617/26-3-2016-4(7)/2015

प्रेषक,

विजय प्रसाद त्रिपाठी,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन

सेवा में,

निदेशक,
समाज कल्याण,
उ0प्र0 लखनऊ।

समाज कल्याण अनुभाग-3 लखनऊः दिनांकः 06 जुलाई 2016

विषयः- रिट याचिका संख्या-62710/2014 अनिल कुमार व 26 अन्य बनाम् उ0प्र0राज्य व अन्य में पारित मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 30.05.2016 के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशालय समाज कल्याण के पत्रांक-483/सक/शिक्षा-अ/2016-17, दिनांक-25 मई 2016 द्वारा उपलब्ध करायी आख्या पर सम्यक्विचारोपरान्त उक्त याचिका में पारित मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 30-05-2016 के अनुपालन में याची छात्रों की वर्ष 2013-14 की अनुसूचित जाति दशमोत्तर छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति की धनराशि रूपया-14.3866/- लाख (रूपया चौदह लाख अडतिस हजार छः सौ साठ मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-83 के आयोजनागत पक्ष में प्राविधानित धनराशि जिसकी स्वीकृति पूर्व में निर्गत करके आपके निवर्तन पर रखी गयी है, से भुगतान की अनुमति प्रदान की जाती है।

2- उक्त आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2016/बी-1-746 दस-2016-231/2016, दिनांक-22 मार्च 2016 में निहित प्राविधानों के अधीन निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय

विजय प्रसाद त्रिपाठी
अनुसचिव

पृ0 संख्या-134/2016/आर-1617(1)/26-3-2016 तद्दिनांकः

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2. जिलाधिकारी/कोषाधिकारी, गाजीपुर।
3. कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3
5. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 (दो अतिरिक्त प्रतियों सहित)
6. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

विजय प्रसाद त्रिपाठी
अनुसचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in